speed post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांक: 18 / 12 / 2018

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

सेवा में,

1. निदेशक,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
दिल्ली–मथुरा रोड़, पी.ओ. सीआरआरआई,
नई दिल्ली – 110025

2. जिला कलेक्टर,
जिला – छपरा सारण,
(बिहार)

विषयः फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 15.11.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
18/12/2018
(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार)
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

speed post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 18 / 12 / 2018

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

सेवा में,

1. निदेशक,
   केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
   दिल्ली–मथुरा रोड़, पी.ओ. सीआरआरआई,
   नई दिल्ली – 110025

2. जिला कलेक्टर,
   जिला – छपरा सारण,
   (बिहार)

विषयः फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 15.11.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

18/12/2018

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार)
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

विषयः श्री जगलाल महतो द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान मे नौकरी हासिल करने के संबंध में श्री सनोज कुमार, जिला – छपरा, सारण (बिहार) के अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 15.11.2018 को 2:00 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारी-परिशिष्ट 'क'

आयोग की माननीया उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनाँक 15.11.2018 को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के इस मामले में बैठक हुई जिसमें जिला पदाधिकारी, छपरा, सारण तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों को चर्चा हेतु बुलाया गया था।

बैठक में सबसे पहले आयोग ने केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से आए हुए अधिकारियों को मामले में जानकारी देने के लिए आग्रह किया।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों ने आयोग को यह बताया कि श्री जगलाल महतो को जाति प्रमाणपत्र वर्ष 1980 में जारी हुआ था जिसके आधार पर उन्होंने Lab Attendant के पद पर उसी वर्ष नौकरी प्राप्त की थी। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने आयोग का नोटिस प्राप्त होने के बाद जिला पदाधिकारी, छपरा, सारण को जाति प्रमाणपत्र की जाँच करने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में जिला पदाधिकारी ने यह सूचित किया कि इस तरह का कोई जाति प्रमाणपत्र जारी ही नहीं किया गया है। इसके बाद विभागीय कार्यवाही का मामला श्री जगलाल महतो के विरुद्ध शुरु किया गया। श्री जगलाल महतो माह फरवरी 2019 में सरकारी सेवा से भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। छपरा से आए हुए जिला कल्याण पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि अंचल अधिकारी, गड़खा, सारण एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा से जाँच कराई गई जिन्होंने जाँच के बाद यह पाया कि श्री जगलाल महतो जाति के 'नोनिया' है जो बिहार में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की कोटि में आती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने आगे यह जानना चाहा कि जब सारा मामला साफ हो गया था कि श्री जगलाल महतो का जाति प्रमाणपत्र छपरा से जारी ही नहीं हुआ है और वह अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की नौकरी हासिल करने की कार्रवाई मे इतना समय कैसे लग रहा है ? केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि ने आयोग को बताया कि इस मामले की जाँच जारी है जो दिसम्बर, 2018 तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि जिला पदाधिकारी छपरा, सारण से प्राप्त रिपोर्ट भी संस्थान को शीघ्र भेज दी जाए ताकि जाँच मे उसका प्रयोग किया जा सके। आयोग ने कहा कि किसी भी स्थिति मे संस्थान डी. ओ. पी. टी. के दिशा–निर्देशानुसार जाँच पूर्ण कर कार्रवाई उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त कर ले। संस्थान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की नौकरी हड़पने वाले ऐसे कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रश्रय / संरक्षण न दे तथा शीघ्र वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करे।

आयोग की अनुशंसा

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान संबंधित कर्मचारी के विरुद्व चल रही जाँच अति शीघ्र पूर्ण करे और उनके विरुद्व कृत कार्रवाई की जानकारी आयोग को **15 दिन** की अवधि में उपलब्ध कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

विषयः फर्जी अनुसूचित जनज़ाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के संबंध में श्री सनोज कुमार, जिला – छपरा (बिहार) के अभ्यावेदन पर, सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई बैठक का कार्यवृत्त।

परिशिष्ट 'क'

सिटिंग में भाग लेने वालों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार दुबे सहायक निदेशक
3.	श्री डी. सी. कटोच सलाहकार
II	**केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली**
1.	श्री सुधांशु कुमार वरिष्ठ अधिकारी (सर्तकता विभाग)
2.	डॉ. किशोर कुमार मुख्य वैज्ञानिक
III	**जिला पदाधिकारी कार्यालय, जिला–छपरा, सारण (बिहार)**
1.	राजेश कुमार सुधांशु B.W.O (Gorkha)
IV	याचिकाकर्ता
1.	श्री सनोज कुमार